5 5/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 6/8/23 को पेश हो। तात्कालिक तारीख पेश। (क्रम)

6 बी/3 पत्रावली पेश। अधि. वादिया/प्रतिवादिया हाजिर। अपीलार्थी द्वारा। आ. 7 की तामिल हो चुकी है। काफी समय तामिल हाजिर नहीं। अतः अपीलार्थी द्वारा आ. 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आगामी दिनांक पर चाही है। बहस अधि. प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद बंटवारे का है। दोनों वाद विवादित भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थीया के हक प्रभावित हो सकते हैं। यथा वाद का दुरुपयोग बढ़ने की संभावना है। अतः वाद बहुरूपता के बढ़ने को रोकने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण को आदेश निषेधाज्ञा से अन्तरिम रूप से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 1890/7 रकबा 0.8510 हैक्टर, ख.नं. 1891/7 रकबा 0.0290 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टर वाके ग्राम चन्दपुरा, परवार टप्पा चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की भूमि पर तादोनों वाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन हीदानुसार, विशेष कैलेण्डर आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली के सतीश कुमार शर्मा नाम निकल हो, शामिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।